

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
पत्रांक- 2499 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 20 / 03 / 2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

विषय :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा - धनारी - सेम - मुखेम मोटर मार्ग का पटुडी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका कार्यालय का पत्रांक- 1949 / वनभूमि, दिनांक 06.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आप द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य कोई भी समरेखण उपलब्ध नहीं है एवं यदि समरेखण परिवर्तन पर मोटर मार्ग की लम्बाई बढ़ने के साथ-साथ वैकल्पिक समरेखण में वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक-3221/12-1, दिनांक 05.03.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री दीपचन्द्र आर्य जी द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि "उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित होने के कारण एवं उक्त मोटर मार्ग से सिर्फ सेम नागराजा मन्दिर को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, कोई ग्राम भी उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होता प्रतीत नहीं हो रहा है, जो लाभ-लागत की दृष्टि से प्रस्ताव ~~के~~ उचित नहीं है।"


अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित है जिसमें कुल 933 जिसमें से 349 वृक्ष बांज तथा 84 वृक्ष बुरांश के हैं, जो कि पर्यावरणीय एवं मानवीय जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिस कारण आपसे अनुरोध है कि एक बार पुनः अपने स्तर से उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेखण ढूंढने का प्रयास करें, जिसमें कम से कम वृक्षों का पातन निहित हो।

भवदीय

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी B
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

o/c



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashlfd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 3221 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 05/03/2021

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे डुण्डा-घनारी-सेम-मुखेम मोटर मार्ग का पट्टी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.803 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.02.2021 को आपके विभाग के प्रतिनिधियों के साथ उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त प्रस्तावित समरेखण की लम्बाई लगभग 10.00 कि0मी0 है, जिसका अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि से गुजर रहा है। प्रस्तावित समरेखण में अत्याधिक मात्रा में विभिन्न प्रजातियों के कुल 933 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 349 वृक्ष बांज तथा 84 वृक्ष बुरांश के हैं, जो कि पर्यावरणीय एवं मानवीय जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वृक्ष हैं।

उक्त मोटर मार्ग सिर्फ सेम नागराजा मन्दिर को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, कोई भी ग्राम इस समरेखण में लाभान्वित होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। सेम नागराजा मन्दिर, पूर्व से ही अन्य तरफ से मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है। आपके कार्मिकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग का अन्तिम सिरा सेम नागराजा मन्दिर स्थल से लगभग 2.00 कि0मी0 पूर्व तक ही है। प्रस्तावित मार्ग मन्दिर को जोड़ता नहीं है। ऐसी दशा में अधोहस्ताक्षरी को उक्त प्रस्तावित समरेखण का कोई विशिष्ट औचित्य प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। इससे अनावश्यक रूप से आरक्षित वन भूमि एवं वृक्षों को काटकर पर्यावरण क्षति होगी।

अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत औचित्यपूर्ण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात् ही विषयगत प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

भवदीय

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 3221 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित -

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।